WESTERN U.P.
CHAMBER OF COMMERCE
& INDUSTRY

JULY 2025
MASIK PATRIKA

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

  Shri G.C. Sharma

- **Jr. Vice President**

  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- कर विभाग ने आईटीआर-2 भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की
- आयकर पोर्टल पर विवरण ई-सत्यापन से ही बदलेगा
- नए नियमों से पांच लाख करदाता होंगे प्रभावित
- आयकर रिटर्न भरने के लिए नई सुविधा शुरू
- आधार सत्यापन से ही नया पैन कार्ड
- आधार के लिए चार साक्ष्य जरूरी
- मेरठ में भी भवन उपविधि लागू मेडा इसी सप्ताह कराएगा स्वीकृत
- अब कम भूखंड पर कर सकेंगे ज्यादा निर्माण
- छोटे भूखंड स्वामियों को होगा ज्यादा लाभ
- पासबुक से धन निकासी तक शुल्क ले रहे बैंक
- पीएनबी न्यूनतम राशि न होने पर शुल्क नहीं लेगा
- पीएनजी का एकसमान मूल्य रखें कंपनियां
- संपत्तियों के दाखिल खारिज में देर होने पर डीएम भी होंगे जिम्मेदार
- Centre Launches Rs 1,000 Crore ADEETIE Scheme to Boost Energy Efficiency in MSMEs
- CPSEs Procure 42% from MSEs in FY26 Surpassing Mandatory Target
- SBI Report Recommends Lower Tariffs To Boost India’s Chemical Exports
- Labour Minister asks States to promote incentive scheme to create jobs
- India Launches Carbon Credit Scheme to Cut Industrial Emissions
- Centre To Release Fresh Export Guidelines Focus On New Markets And First-Time Exporters
- RBI issues revised rules for agriculture, small business loans against gold, silver

कर विभाग ने आईटीआर-2 भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की

कर योग्य पूंजीगत लाभआय वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-2 फॉर्म भर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, आयकर रिटर्न फॉर्म-2 अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे हुए आंकड़ों के साथ ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
आईटीआर-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की ओर से दाखिल किए जाते हैं, जिन्हें पूंजीगत लाभ से आय होती है, लेकिन व्यवसाय या पेशे से कोई कमाई नहीं होती है। आयकर विभाग ने पिछले महीने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी, जो छोटे और मझोले करदाताओं के लिए सरल फॉर्म हैं। सरकार पहले ही आकलन वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुकी है।

आयकर पोर्टल पर विवरण ई-सत्यापन से ही बदलेगा

यदि आप आयकर भरने वाले पोर्टल पर अपनी जरूरी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या बैंक खाता अपडेट करते हैं, तो आयकर विभाग के साथ सुचारू संचार के लिए ई-सत्यापन करना होगा।
ई-सत्यापन आपकी अपडेट की गई जानकारी को मान्य करता है और इसे सुरक्षित रूप से आपके टैक्स रिकॉर्ड से जोड़ता है। यह ध्यान में रखा जाए कि बिना ई-सत्यापन के, आपको आयकर विभाग से जरूरी सूचनाएं या कर का रिफंड आपके बैंक खाते में। वापस नहीं मिल सकता।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, निम्नलिखित जानकारी बदलने पर ई-सत्यापन जरूरी हैः- प्राइमरी मोबाइल नंबर, ईमेल का पता, बैंक खाता विवरण।

ई-सत्यापन के तरीके

सीबीडीटी की वेबसाइट के अनुसार, जानकारी को सत्यापित करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं

1. ओटीपी: यदि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप ओटीपी के जरिए जल्दी सत्यापन कर सकते हैं।
2. नेट बैंकिंग: अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉगिन करें और ई-सत्यापन का विकल्प चुनकर अपनी पहचान सत्यापित करें।
3. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट : जिनके पास डीएससी है, वे सत्यापन पूरा कर सकते हैं।
4. बैंक एटीएमः कुछ बैंक अपनी एटीएम सेवाओं के जरिए ई-सत्यापना की सुविधा देते हैं।
5. डीमैट खाता : लिंक्ड डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है।

नए नियमों से पांच लाख करदाता होंगे प्रभावित

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने सहित अन्य कई नियम से बदलने जा रहे हैं। इससे जिले में भी करीब पांच लाख करदाता प्रभावित होंगे। उन्हें अब नए प्रावधानों का ध्यान रखना होगा।
सीए ने बताया कि जीएसटीआर-3 बी फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा। इसमें कर विवरण जीएसटीआर-1, 1 ए श्रेणी में स्वतः भर जाएगा और करदाता खुद संशोधन नहीं कर सकेंगे। पारदर्शिता के उद्देश्य से इसे लागू किया जा रहा है।

सीए ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 सितंबर तक कर दिया गया है। वेतनभोगियों को रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलेंगे। वहीं, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और कार्ड की फीस में भी बदलाव की तैयारी है। ऐसे में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न में देरी पर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है।

आयकर रिटर्न भरने के लिए नई सुविधा शुरू

आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देने के लिए 'टैक्स असिस्ट' नाम से नया सुविधा टूल शुरू किया है। इसकी मदद से करदाता अपने किसी भी सवाल का आसानी से समाधान प्राप्त कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इस नए टूल के बारे में आयकर विभाग ने कहा कि 'टैक्स असिस्ट' की शुरुआत सभी तरह की कर संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई है। विभाग ने एक उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि धारा-80 जीजीसी के बहत कर छूट का दावा करने वाले करदाताओं को किन-किन पास्थितियों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह धारा उन दानदाताओं को कर में छूट देती है, जो किसी राजनीतिक दल या चुनावी न्यास यानी ट्रस्ट को राशि दान देते हैं। विभाग ने तीन अलग-अलग परिदृश्यों को साझा करते हुए यह समझाया कि नया टूल कैसे करदाताओं को इन दावों के दस्तावेजीकरण, स्पष्टीकरण और नोटिस के उत्तर देने में मदद करता है। यह पहल पारदर्शिता और कर दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य शुरू की गई है।

इन तीन परिदृश्यों से समझें नया टूल कैसे सवालों के जवाब देगा

फर्जी दान का दावा
अगर किसी ने फर्जी या गैर-वैध राजनीतिक दान दिखाकर छूट का दावा किया है, तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा। ऐसे मामलों में टैक्स असिस्ट करदाता को आईटीआर-यू दाखिल करने और देय करें और ब्याज जमा करने की सलाह देगा, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

दान का दावा
अगर दान किसी वैध राजनीतिक दल को किया गया है, तो टैक्स असिस्ट सलाह देता है कि दान की रसीदें और बैंक लेन-देन का सबूत संभालकर रखें, क्योंकि जांच के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। यह पहल आयकर विभाग की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत करें जमा कराने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

गलती से छूट का दावा

अगर करदाता ने गलती से 80 जीजीसी के तहत छूट का दावा किया है, तो टैक्स असिस्ट उन्हें सलाह देगा कि वे अपना रिटर्न संशोधित करें या आईटीआर-यू फाइल कर कर और ब्याज जमा करें और अतिरिक्त रिफंड लौटाएं। ऐसा न करने पर जांच या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

आधार सत्यापन से ही नया पैन कार्ड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होना और आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। नया नियम एक जुलाई से लागू होगा।
अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई भी पहचान पत्र और जन्म प्रमाणपत्र देकर काम चल जाता है। लेकिन नए नियम के तहत अब आधार सत्यापन के जरिए नए पैन कार्ड जारी होंगे।
इसका मतलब है कि आवेदन करते समय केवल दस्तावेज अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन करना जरूरी होगा।

इनके लिए भी अनिवार्य
इसी के साथ मौजूदा पैनधारकों के लिए भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन अमान्य हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, है। लगभग 13 करोड़ लोगों ने अब तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है।

ऐसे लिंक करें
आयकर विभाग के पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाएं।
यहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। अब पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद स्वघोषणा वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इससे आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

फर्जी पैन नहीं बन पाएंगे
इस बदलाव का उद्देश्य कर चोरी और फर्जी पैन कार्ड के धंधे पर लगाम लगाना है। अभी तक कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड बनवाकर कर की हेराफेरी कर रहे थे या किसी और के नाम पर कार्ड बनाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब आधार बायोमैट्रिक के चलते ये सब संभव नहीं होगा।
आयकर अधिनियम के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। वरना इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आयकर कानून के अनुपार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आधार के लिए चार साक्ष्य जरूरी

नया आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के लिए नियम बदल गए है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की तरफ से आधार में नाम, पता औरफोटो में बदलाव करवाने के लिए नई शर्तों का निर्धारण किया है। अब आधार बनाते समय चार अनिवार्य दस्तावेज देने होंगे।
यूआईडीएआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक सूची जारी की है। यूआईडीएआई ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास गलती से दो या ज्यादा आधार नंबर बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा, और बाकी सब आधार रद्द कर दिए जाएंगे। अब आधार बनवाने या फिर उसमें बदलाव करने के लिए चार जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इंग चार डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, पतं का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण शामिल हैं।

मेरठ में भी भवन उपविधि लागू मेडा इसी सप्ताह कराएगा स्वीकृत

उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 प्रदेश के साथ ही मेरठ में भी लागू हो गई है। इसे मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) अंगीकृत कर लेगा। बोर्ड बैठक आयोजित करने में समय लगेगा इसलिए बाईसकुर्लेशन बोर्ड से इसे स्वीकृत करा लिया जाएगा। इसी के संबंध में लखनऊ में विकास प्राधिकरणों की बैठक में शासन ने तत्काल क्रियान्वयन का आदेश दिया है।
मेडा उपाध्यक्ष ने बताया कि बाईसर्कुलेशन का प्रस्ताव तैयार कराकर बोर्ड से हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। भवन उपविधि को अंगीकृत करने में तीन-चार दिन लग जाएंगे, फिर भी यदि कोई आवेदन करता है तो उसे इसी उपविधि के अनुसार लाभ दिया जाएगा। दरअसल, शासन स्तर से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू कर दिया गया है, लेकिन

यदि कोई अभी आवेदन करेगा तो उसे उम्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत ही लाभ मिलेगा

प्राधिकरण व आवास विकास के स्तर से अभी क्रियान्वयन नहीं शुरू हुआ है। नए सिरे से बनाई गई उपविधि में तमाम तरह की सहूलियतें दी गई हैं। अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लाट के मानचित्र प्राधिकरण स्तर से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, बल्कि आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर जब आवेदन करेंगे तभी उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा... यानी अब प्राधिकरण स्तर से मानचित्र आवेदनों को स्वीकृत करने के बजाय निगरानी व प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
यदि मानचित्र में कोई तथ्य गलत होगा या छिपाया गया होगा तो उसके लिए भवन स्वामी व मानचित्र स्वीकृत कराने वाले आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर को दोषी माना जाएगा।

अब कम भूखंड पर कर सकेंगे ज्यादा निर्माण

शहरी क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक व अन्य भवनों के निर्माण में राहत के लिए नए सिरे से तैयार की गई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को मुख्यमंत्री को अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। शहरों की महंगी होती जमीन पर अब 40 प्रतिशत तक ज्यादा निर्माण किया जा सकेगा। चौड़ी सड़क किनारे के आवासीय भवनों में दुकानें भी खोली जा सकेंगी। पार्किंग की पर्याप्त जगह होने पर डाक्टर, वकील, सीए, वास्तुविद अपने घर में कार्यालय बना सकेंगे। होमस्टे, क्रेच व नर्सरी भी घरों में संचालित की जा सकेगी। 100 वर्गमीटर के भूखंड पर घर बनाने और 30 वर्गमीटर पर दुकान बनाने के लिए विकास प्राधिकरण-आवास विकास परिषद से अनुमति नहीं लेनी होगी। इसी तरह 500 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्माण व 200 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भवनों का नक्शा आनलाइन स्वतः अनुमोदित होंगे। नए प्रविधान में नौ मीटर रोड पर बिना बेड के अस्पताल व प्राइमरी स्कूल अब खोले जा सकेंगे और 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शापिंग माल भी बनाया जा सकेगा।

छोटे भूखंड स्वामियों को होगा ज्यादा लाभ

प्रदेश सरकार की विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के लागू होने पर उन छोटे भूखंड स्वामियों को भी लाभ होगा जो आवास के साथ जीवनयापन के लिए एक छोटी दुकान भी बनाना चाहते हैं।
नई आवास नीति में जहां आवंटी 100 वर्गमीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अपना आशियाना बना सकेंगे वहीं 30 वर्गमीटर तक के भूखंड पर भी बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दुकानें बना सकते हैं। सरकार ने नई नीति में 10 लाख की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर और इससे ज्यादा आबादी वाले नगरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिस्सड यूज की सुविधा प्रदान कर दी है। मेरठ विकास प्राधिकरण की सीटीपी का कहना है कि सरकार ने 17 साल पुरानी उपविधि को आज की जरूरत के हिसाब से नए सिरे से तैयार कराकर लागू किया है। नई उपविधि में भवन निर्माण के कड़े मानकों में छूट और नक्शा पास करने की प्रक्रियां को सरल किया गया है।

पासबुक से धन निकासी तक शुल्क ले रहे बैंक

ग्राहकों के लिए बैंकों से जुड़ी सेवाएं महंगी होती जा रही हैं। बीते पांच से छह वर्षों के दौरान बैंकों ने ग्राहकों से जुड़ी हर छोटी सेवा पर शुल्क लगाया दिया है। इस कड़ी में अब तत्काल लेनदेन (आईएमपीएस) सेवा पर भी शुल्क का बोझ बढ़ने जा रहा है।

इतना ही नहीं, कई तरह के शुल्कों में बैंकों ने बढ़ोतरी भी की है। उधर, बैंकों ने ग्राहकों को दी जानी वाली सुविधाओं में कटौती की गई। स्थिति यह है कि बैंक से पासबुक अपडेट करानी हो या फिर ग्राहक को अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराने हों, सभी पर उन्हें शुल्क देना होता है।

इस साल मई में बैंकों ने एटीएम के जरिए निर्धारित सीमा (मासिक पांच) से अधिक बार धनराशि निकालने पर प्रप्ति निकासी 23 रुपये का शुल्क बढ़ाया था। वहीं, एक जुलाई से विशिष्ट क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर नए शुल्क भी लागू किए गए।

इसके साथ ही, बैंक , बैंक ने अपने नकद लेनदेन नियमों में भी बदलाव किया है। कई बैंकों ने शाखाओं या कैश रिसाइकलर मशीनों (सीआरएम) से हर महीने केवल तीन मुफ्त नकद लेनदेन निर्धारित कर दिए हैं। पहले इसकी मासिक सीमा पांच थी।

वहीं, निर्धारित सीमा से अधिक बार खाते से नगद निकासी पर प्रति लेनदेन 150 रुपये का शुल्क लगाया गया। वहीं, एक महीने में एक लाख रुपये से अधिक नगद जमा करने पर 150 रुपये शुल्क लगा दिया गया है।

पीएनबी न्यूनतम राशि न होने पर शुल्क नहीं लेगा

वित्तीय समावेशन और ग्राहक सशक्तीकरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सभी बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क खत्म कर दिया है। पीएनबी ने बयान में कहा कि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी यह पहल विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और निम्न आय वाले परिवारों जैसे प्राथमिकता वाले वर्गों का समर्थन करने के लिए है। इस फैसले से न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंड के तनाव के बिना बैंकिंग सेवाओं तक आसान और अधिक समावेशी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इन शुल्कों को माफ करने से ग्राहकों पर वित्तीय दबा कम होगा।

पीएनजी का एकसमान मूल्य रखें कंपनियां

नई दिल्ली, में तेल क्षेत्र नियामक पीएनजीआरबी ने पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) आपूर्ति करने वाली गैस वितरण कंपनियों को ग्राहकों से एक समान कीमत वसूलने का आदेश दिया है। दरअसल, कई कंपनियां एक सीमा से ज्यादा खपत पर अधिक शुल्क वसूल रही हैं, जिसके चलते नियामक ने यह निर्देश दिया है। सरकार, शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं को बाज़ार भाव से कम कीमत पर प्राकृतिक गैस का आवंटन करती है, जिसे एपीएम कहा जता है। यह गैस घरों में पाइपल के जरिये पहुंचाने जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के रूप में बेची जाती है। चूंकि सरकार द्वारा यह आवंटन बाजार भाव से कम किया जाता है, इसलिए उम्मीद है कि शहरी गैस खुदरा विक्रेता इसका लाभ उपभोक्ताओं को देंगे।

घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमत बाजार भाव से कम होती है, लेकिन होटलों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति की जाने वाली गैस की कीमत बाजार भाव पर ही रखी जाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने एक नोटिस में कहा, 'इस बात का पता चला है कि कुछ शहरी गैस वितरण कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं से एक निश्चित सीमा से ज्यादा पीएनजी खपत पर ज्यादा शुल्क वसूल रही हैं।' नियामक ने कहा कि ऐसी प्रथा गलत है और इस तरह की मूल्य निर्धारण प्रथाएं अनजाने में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी वाली गैस के अनधिकृत उपयोग को बढ़ावा देती हैं।" हालांकि, नियामक ने ऐसी प्रथा में शामिल गैस वितरण कंपनियों के नाम नहीं बताएं हैं। नियाम ने कहा कि पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) की मांग को पूरा करने के लिए गैस वितिण कंपनियों को एपीएम गैस की आपूर्ति की जा रही है।

संपत्तियों के दाखिल खारिज में देर होने पर डीएम भी होंगे जिम्मेदार

राजस्व विभाग ने संपत्तियों के दाखिल-खारिज के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अब संपत्तियों के दाखिल-खारिज में देरी पर मंडलायुक्त के साथ-साथ संबंधित जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही राजस्व संहिता के अनुसार गैर विवादित मामलों में 45 दिन में नामांतरण करना होगा। विवादित मामलों में 90 दिनों में संबंधित अधिकारियों को निर्णय लेना होगा। दाखिल खारिज के मामलों में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राजस्व विभाग ने यह व्यवस्था बनाई है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व संहिता-2006 की धारा 34/35, के तहत अंतरण मामलों में अविवादित नामांमरण का वाद 45 दिनों और विवादित होने पर 90 दिनों गैर विवादित मामलों में 45 दिन में करना होगा नामांतरण में निस्तारित नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। इसलिए धारा-34 के अंतर्गत प्राप्त, लेकिन पंजीकरण के का लिए लटके मामलों आरसीसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। प्रार्थना पत्रों को लंबित रखने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी अपने स्तर से कार्ययोजना बनाकर नामांतरण के लिए लंबित मामलों को देखेंगे। वादों के समय से निस्तारित कराने के लिए समीक्षा की जाएगी। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देंगे। निर्देश को न मानने वाले पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव शासन के साथ राजस्व परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा।

Centre Launches Rs 1,000 Crore ADEETIE Scheme to Boost Energy Efficiency in MSMEs

The Central Government has introduced a Rs 1,000 crore scheme to help micro, small, and medium enterprises (MSMEs) shift to energy-efficient technologies through financial and technical support.

Named ADEETIE (Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries and Establishments), the scheme was launched by Power Minister Manohar Lal in Panipat, Haryana.

Describing ADEETIE as a "transformative movement," the minister said the initiative aims to make Indian MSMEs globally competitive by adopting sustainable practices. The Bureau of Energy Efficiency (BEE) will implement the scheme across 14 energy-intensive sectors.

ADEETIE will roll out in two phases—starting with 60 industrial clusters, followed by 100 more. Spanning three years (FY 2025–26 to 2027–28), the phased approach allows room for progress monitoring and improvements.

The Rs 1,000 crore outlay includes Rs 875 crore for interest subvention, Rs 50 crore for Investment Grade Energy Audits, and Rs 75 crore for technical handholding through BEE. The scheme aims to attract investments worth Rs 9,000 crore, including Rs 6,750 crore from MSME lending.

Financial assistance includes a 5 per cent interest subvention for micro and small enterprises and 3 per cent for medium enterprises, making energy efficiency upgrades more affordable.

Manohar Lal emphasised the scheme’s alignment with the vision of Viksit Bharat, highlighting the MSME sector's role in renewable energy, sustainability, and reducing carbon emissions.

He stated that the use of ADEETIE-supported technologies can reduce energy consumption by 30–50 per cent, while improving production efficiency.

Power Secretary Pankaj Agarwal reinforced BEE’s role in mainstreaming energy-efficient practices, stressing the importance of supportive policies and financing to empower MSMEs as drivers of climate action.

CPSEs Procure 42% from MSEs in FY26 Surpassing Mandatory Target

Public sector purchases from Micro and Small Enterprises (MSEs) continue to grow in 2025–26, with Central Public Sector Enterprises (CPSEs) sourcing 42.2 per cent of their total procurement from MSEs—well above the mandatory 25 per cent target and significantly higher than 35 per cent achieved in 2024–25.

Out of the Rs 35,090 crore total procurement by CPSEs so far this fiscal year, Rs 15,224 crore came from MSEs. Notably, Rs 1,088 crore worth of goods and services were procured from women-led enterprises, reflecting the 3 per cent sub-target provision introduced for women entrepreneurs.

This progress stems from the 2018 revision to the Public Procurement Policy, which made it compulsory for CPSEs to procure at least 25 per cent of their purchases from MSEs—up from the earlier 20 per cent.

CPSEs' procurement from MSEs has seen a steady increase over the years—from Rs 26,344 crore (23 per cent) in FY18 to Rs 53,423 crore (32.5 per cent) in FY22, Rs 61,033 crore (35.6 per cent) in FY23, and Rs 93,568 crore (35 per cent) in FY25. Much of this procurement takes place through the Government e-Marketplace (GeM) portal, which offers transparent access to public sector buyers.

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector remains a priority for the government due to its significant role in job creation and exports. With over 1 crore registered MSMEs employing 75 million people, the sector contributes 36 per cent to India's manufacturing output and 45 per cent to exports.

In the Union Budget 2025–26, the government introduced several supportive measures, including increased investment and turnover limits for MSME classification, higher credit guarantees, and a new financial assistance scheme for first-time entrepreneurs from disadvantaged communities.

Sector-specific support for footwear, toys, and leather aims to further boost productivity and global competitiveness.

SBI Report Recommends Lower Tariffs To Boost India's Chemical Exports

India has the potential to significantly expand its chemical exports to the United States and add 0.3 percent to its Gross Domestic Product if it successfully negotiates tariffs below 25 percent, according to a recent analysis by the State Bank of India. The report identifies a strategic opportunity for India to capture market share currently dominated by China, Singapore, and other Asian competitors in the lucrative US chemicals market. The SBI analysis reveals that India possesses a revealed comparative advantage in the chemicals sector among the top five import categories to the United States. However, the country's current market share in chemical exports to the US remains significantly lower than that of China and Singapore, presenting substantial room for growth in this sector. The report emphasises that changing trade dynamics, particularly China's exposure to higher US tariffs, creates a favourable environment for India to expand its chemical exports. tariffs, creates a favourable environment for India to expand its chemical exports. If India can secure tariff rates below 25 percent, matching the level currently applicable to Singapore, it would become more competitive and better positioned to capture existing market share from both China and Singapore. According to the SBI calculations, India could add 0.2 percent to its

GDP by capturing just 2 percent of the chemical export share currently held by China and Singapore. The report suggests this relatively modest market share gain could yield significant economic benefits for India's overall economic growth.

The analysis also identifies additional opportunities beyond China and Singapore. India faces lower tariffs compared to Japan, Malaysia, and South Korea in the US market, creating potential for further expansion. The report estimates that capturing even 1 percent of the US chemical import market from these three countries could contribute an additional 0.1 percent to India's GDP. The SBI report's projections indicate that a strategic approach to capturing market share could yield substantial economic returns.

By securing 2 percent of the market share from China and Singapore, combined with 1 percent from Japan, Malaysia, and South Korea, India could potentially achieve a total GDP increase of 0.3 percent through enhanced chemical exports to the United States.

These findings underscore the importance of trade negotiations and tariff structures in determining competitive positioning in global markets.

The report suggests that India's success in expanding its chemical exports will largely depend on its ability to secure favourable tariff arrangements that enhance its competitive advantage over established market players.

Labour Minister asks States to promote incentive scheme to create jobs

Union Labour Minister Mansukh Mandaviya on Monday (July 14, 2025) requested the cooperation of States to implement the recently approved employment linked incentive (ELI) scheme, aimed at promoting employment, particularly in the manufacturing sector.

He made the appeal during a virtual meeting with the State Labour Ministers here on Monday. The meeting discussed the implementation modalities and explored collaborative strategies for the effective rollout of the scheme.

He told the State Ministers that the ELI scheme represents the second step after the production linked incentive (PLI) scheme towards building a self-reliant India. He said the scheme will provide financial support to employers, enabling them to generate additional employment, particularly for the youth. It will be a win-win for both employers and job seekers, he said.

The Minister maintained that labour and industry are two sides of the same coin and both must work in close coordination for the greater good of the nation’s workforce and economy. He assured the States that procedural formalities under the scheme had been kept simple to ensure ease of access and encourage wide participation. Citing the data published by the Reserve Bank of India (RBI), he said in the meeting that over 17 crore employment opportunities were generated during the last decade. “This is a reflection of the significant economic progress made by the country, particularly driven by robust growth in sectors such as construction, manufacturing, and services,” he said, adding that schemes like ELI are designed to create quality jobs, deepen formalisation, and support inclusive development.

He urged the State Ministers to promote the scheme through media briefings, television and radio interviews, and other outreach platforms. With a total outlay of ₹99,446 crore, the ELI scheme aims to create over 3.5 crore jobs across the country over a two-year period.

India Launches Carbon Credit Scheme to Cut Industrial Emissions

The Indian government has recently introduced greenhouse gas (GHG) emissions intensity targets for eight energy-intensive industrial sectors—including steel, cement, aluminium, textiles, petrochemicals, oil refineries, paper & pulp, and chlor-alkali—under its Carbon Credit Trading Scheme (CCTS).

Launching in 2023 via the Energy Conservation (Amendment) Act, it aims to curb emissions and reward entities that outperform benchmarks by issuing tradable carbon credit certificates, while allowing laggards to buy credits or face penalties.

The scheme is modeled loosely on the PAT (Perform, Achieve, Trade) mechanism, which successfully cut energy intensity across covered sectors by enabling high performers to sell efficiency certificates and others to comply via purchases.

However, assessments of the earlier PAT cycles revealed mixed results at the plant level, despite achieving aggregate reductions in energy intensity.

The heart of the critique: CCTS's current targets aim for only a ~1.68% annual decline in emissions intensity from 2023–24 to 2026–27—less ambitious than the projected industry-wide decline of ~2.53% and significantly less than the power sector's 3.44% annual reduction needed for alignment with India's net-zero ambitions.

This disparity suggests that while well-intentioned, CCTS targets may not be stringent enough to meet both India's 2030 NDCs (45% reduction in emissions intensity vs. 2005) and its 2070 net-zero roadmap.

Moreover, CCTS presently excludes key sectors like power, transport, agriculture, MSMEs, and thermal plants—limiting its economy-wide impact.

Critics argue for a shift away from merely sector/entity-level compliance toward an economy-wide evaluation to truly measure environmental ambition and success.

Looking ahead, experts recommend tightening targets progressively, expanding sectoral coverage, integrating international best practices for robust monitoring, and linking CCTS trajectories directly to NDC and net-zero modeling. Only then can it evolve into a meaningful tool for India's decarbonization journey.

Centre To Release Fresh Export Guidelines Focus On New Markets And First-Time Exporters

Commerce and Industry Minister announced that the government will soon release new guidelines aimed at promoting new markets, products, and first-time exporters.

Emphasising a collaborative approach, he stated that the Ministry of Commerce will work closely with district administrations to promote unique local items under the One District One Product (ODOP) initiative and support emerging exporters in expanding their global reach. He underlined the vital role that districts play in India's economic growth, noting that 773 districts across various states have significantly contributed to the country's development. He remarked,"India is like an oasis in a desert in a tumultuous world and is the fastest-growing large economy in the world today." He further projected that India is poised to become the world's third-largest economy by 2027. Highlighting the export potential of India's diverse local products, the minister cited examples such as Wayanad's coffee, Ratnagiri mangoes, and saffron from Pulwama. These, he said, exemplify the rich legacy and uniqueness each district can bring to the global market.

He described ODOP as a distinctive initiative not replicated elsewhere in the world.

"Each district brings a different kind of legacy," he said, adding that in some cases, two products may be recognised under the ODOP framework to better represent a region's economic strengths.

The minister reported that 64 out of 87 products under ODOP are currently covered by the Industrial Investment Promotion Policy. He also noted significant progress in Bihar, where all 38 districts have achieved 100 per cent ODOP product coverage.

Bihar, he added, has integrated ODOP into its broader economic and industrial policies and has been categorised under Category A in this regard. He concluded by urging stakeholders to pledge their support in making ODOP a key driver of prosperity at the district level.

He stressed the need to harness the potential of locally made products to elevate them to global recognition, thereby strengthening India's position in international markets.

RBI issues revised rules for agriculture, small business loans against gold, silver

The Reserve Bank has allowed voluntary pledge of gold and silver jewellery as collateral for agriculture and small business loans. “It is clarified that loans against voluntary pledge of gold and silver as collateral by borrowers, sanctioned by the banks up to the collateral free-limit, as covered under the extant circular/master direction, will not be construed as a violation of the above-mentioned guidelines as regards such collateral,” RBI said in a circular Friday updating the extant directions.

The new pledging norms will be applicable to all commercial banks, regional rural banks, small finance banks and all state and district cooperative banks, the central bank said on Friday in the directions issued to the heads of these lenders. The revised norms are an update on the circular issued on December 6, 2024 on credit flow to agriculture – collateral free agricultural loans, and also of the master direction dated July 24, 2017 on lending to micro, small & medium enterprises, the RBI said. On June 10, 2025, the RBI had introduced a comprehensive regulatory framework for lending against gold and silver collateral, harmonising the treatment of loans secured by gold and silver collateral across all types of regulated entities, thus ensuring greater prudence, borrower protection, and operational transparency.

The most important change is the capping of the loan-to-value ratio (LTV) at 75% for all lenders. This means that if you put gold jewellery with a collateral value of Rs 100, then the lender can only give a maximum loan amount of Rs 75. But there is also some flexibility on this based on the size of the loan. For gold loans up to `2.5 lakh, the LTV is 85%, this means borrowers can now borrow a higher percentage of the gold's value as a loan. For loans up to Rs 2.5–5 lakh, the LTV is 80% and above Rs 5 lakh it is 75% which means if you are taking more than Rs 5 lakh in gold loan, your jewellery will be valued only 75% of the monthly average gold/silver price as eligible for loan. This is introduced to reduce overleveraging, the RBI said.

Also for under Rs 2.5 lakh loan, lenders need not conduct a detailed credit appraisal of the borrower. Historically, RBI’s approach to regulating loans against gold and silver was scattered across numerous circulars issued over decades ranging from 1964 to 2023. These directions varied in application and interpretation depending on the nature of the regulated entity (banks, NBFCs, cooperative banks etc). This fragmented regulatory structure often led to inconsistent practices, conduct-related issues, and supervisory gaps.